झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक 29.12.2015

संख्या–16/से0गा0अ0–01–05/2013 का॰–**11087**/झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम 20, 2011) की धारा–13 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल निम्नांकित संशोधन नियमावली बनाते हैंः–

झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी (संशोधन) नियमावली, 2015

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार –
   (i) इस नियमावली का नाम ''झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी (संशोधन) नियमावली, 2015'' होगा।
   (ii) यह राजकीय गजट में अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होगा।
   (iii) यह सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में प्रभावी होगा।

2. झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी नियमावली, 2011 के नियम–21 में प्रदायी सेवाएँ, प्राधिकार एवं इस हेतु नियत समय–सीमा की विवरणी गठित है।

3. झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी नियमावली, 2011 के उपर्युक्त नियम–21 को तत्काल प्रभाव से विलोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

र. कुमार 29/12/15
(रतन कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–16/से0गा0अ0–01–05/2013 का॰– **11087** / रांची, दिनांक **29.12.2015**

प्रतिलिपि – नोडल पदाधिकारी, ई0 गजट, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

र. कुमार 29/12/15
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–16/से0गा0अ0–01–05/2013 का॰– **11087** / रांची, दिनांक **29.12.2015**

प्रतिलिपि – महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ महानिबंधक, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा/ राज्यपाल सचिवालय/ मुख्यमंत्री सचिवालय/स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/मुख्य सचिव, झारखण्ड का कार्यालय/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

र. कुमार 29/12/15
सरकार के सचिव।